DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY SPORTS WING: COORDN. CELL SIRI FORT SPORTS COMPLEX, AUGUST KRANTI MARG NEW DELHI-110 049

NIP No 01/YSC/DDA/2023-24

Notice Inviting Proposal (NIP) for conducting Squash coaching in Yamuna Sports Complex.

Delhi Development Authority (Sports Wing) invites applications from professional sports coaches / agencies for conducting Squash coaching in Yamuna Sports Sports on revenue sharing basis.

For detailed eligibility criteria, terms and conditions, mode of selection, etc, kindly visit DDA website www.dda.gov.in (in "Public Notice" and "Tenders" web pages). Details can also be obtained from any of the DDA Sports Complexes.

Detailed proposals (i.e Technical Bid and Financial Bid) should be submitted to Secretary (Coordn), Sports Wing, Delhi Development Authority, Siri Fort Sports Complex, August Kranti Marg, New Delhi – 110049 by 10.05.2023 Bids not submitted as per this format shall be rejected.

Commissioner (Sports)

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY SPORTS WING: COORDN. CELL SIRI FORT SPORTS COMPLEX, AUGUST KRANTI MARG NEW DELHI-110 049

Sub: Notice Inviting Proposal (NIP) for conducting Squash coaching in Yamuna Sports Complex.

BACKGROUND:

- 1. Delhi Development Authority (Sports Wing) invites applications from professional sports coaches/agencies for conducting coaching in Squash for which facilities are available at Yamuna Sports Complex in Delhi on revenue sharing basis.
- 2. Coaching is provided at facilities available at the sports complexe for members as well as non-members. DDA provides the infrastructure as well as maintains the facilities while professional coaches/coaching agencies provide the coaching.

TERMS AND CONDITIONS:

- 3. Coaching is provided on revenue sharing basis. The share of coaching charges for all outdoor coaching would be 60:40 between the coach/agency and DDA respectively. However, for facilities for which DDA provides most training aids, and indoor facilities, the ratio of sharing would be 50:50.
- 4. Mandatory free coaching is to be provided by the coaches/coaching agencies to at least 10% of the trainees from economically weaker sections who have potential in the sport. Extension of coaching contracts would not be provided where the coaches/agencies have not imparted free coaching to the minimum number of trainees. If the Management considers appropriate to impart coaching to economically weaker section more than 10% of the total number of trainees, then the Management would pay the coaches/agencies their share of the coaching fees for the additional number of EWS trainees over and above the mandatory 10%.
- 5. The days of the week and timings for imparting coaching would be decided by the Management as per requirement and availability of facilities.
- 6. Professional coaches/coaching agencies should submit detailed proposals indicating the preference of sports complex in order of preference. Proposals should contain details of coaches/assistant coaches who would be involved personally in imparting coaching along with their qualifications, experience and achievement as coaches and/or as national and international sports persons. Details of awards for recognition in coaching and achievement of trainees should also be furnished.
- 7. The agency (if applicant is agency and not an individual) should have prior experience of atleast 5 years of imparting coaching in the sport in which it has applied. Coaching experience to be enclosed should be from clubs, govt recognized schools / colleges / other educational institutions, sports federations, govt bodies, etc. If applicant is an individual then he / she should be the head coach.

- 8. If details of the same Head Coach and other coaches including Asst Coaches are submitted by more than one agency, then evaluation of bids of these agencies would not be done. Besides, coaches, Assistant Coaches and support staff would be required to give undertaking that they have submitted their willingness to be part of coaching programme only for a particular agency and not for any other agency.
- 9. The documents submitted by the bidder will be self attested by the authorised signatory of the Agency. The bio-data and certificates of coaches enclosed with applications will be self attested by the coaches and assistant coaches.
- 10. A maximum of two sports complexes would be awarded to any coach/coaching agency in any discipline.
- 11. Sports facilities at the sports complexes during peak hours, i.e., 6.00 a.m. to 8.00 a.m. and 6.00 p.m. to 8.00 p.m. would generally not be available for coaching and utilization of facilities during these timings would be exclusively for members. However, if there is any spare capacity, as assessed by the Secretary of the complex, coaching can be permitted during these hours also, subject to conditions.
- 12. At each sports complex, in each discipline generally only one coaching contract would be awarded for a particular level of coaching. However, for different levels of coaching, i.e., basic, intermediate and advance in the same discipline, there can be different coaches/agencies at a particular complex. However, depending on the requirement and availability of facilities, more than one coaching contract in any level of coaching can also be awarded at a sports complex.
- 13. Differential in coaching rates for members and non-members at all sports complexes would be uniform at 25% additional charges for non-members.
- 14. The proposed monthly charges to be paid by members should be clearly indicated in figures and words in the financial bid of the proposal. The charges for non-members would be 25% more than that payable by members. Applicable GST would be charged on the coaching fees. The proposed monthly fees to be charged from members should be submitted in a separate sealed envelope as per proforma at Annexure-III. However, over and above the monthly coaching charges, coaches/agencies would not be permitted to charge any refundable/non-refundable entry fees. Coaching charges would be collected by the respective sports complex and the share of the coach/agency would be remitted by NEFT/RTGS by the complexon or before the 7th day of the following month. Trainees would be charged coaching fees for only one month in advance at a time.
- 15. Rates for similar level of coaching in a particular discipline should be comparable between complexes according to the location and membership profile of the complex.
- 16. Coaches/agencies would need to clearly state in their proposal details of cost of additional inputs, training aids and playing equipment which they intend to provide to the trainees on request. Specifications and rates for these inputs, equipment, etc., would require to be approved by the management of the complex and would be displayed on the notice board of the sports complex as well as mentioned in the coaching contract. Apart from the items mentioned therein, no other item can be provided to trainees on payment basis. For any change of rates of approved items, prior

approval of the management is required to be obtained by the coaches/agencies. Payment for these approved items can be received directly by the coaches/agencies and no share of revenue from these need to be paid to DDA. Any deviation from this would be considered a breach of contract and would be considered at the time of review for extension of coaching contracts.

- 17. The Head Coach, coaches and assistant coaches whose name the Agency / applicant has included in the proposal at the time of bidding for the NIP, should submit a letter stating they are available and willing to work as coach for the Agency, if the Agency is awarded the Coaching Contract. Coaches / agencies cannot change the Head Coach submitted in their coaching proposal. Change can be permitted in the assistant coaches and support staff for which approval has to be sought from Secretary of the complex. The staff to be replaced with staff who have similar qualifications and experience as these mentioned in the initial proposal which was evaluated. Non compliance will result in termination of coaching contract.
- 18. Coaches/agencies would indemnify DDA against any injury, loss of life, etc., caused either directly or indirectly due to the training.
- 19. Coaches/agencies would be solely responsible for participation of trainees in any event not approved by DDA.
- 20. Coaches/academies would be permitted to include name of DDA while naming/branding their academies.
- 21. No proposals from clubs would be accepted for coaching.
- 22. All trainees would require to fill up a form with details of terms and conditions of coaching and also indemnify DDA against any injury, loss of life, etc., caused either directly or indirectly due to the training.

EVALUATION OF PROPOSALS:

- 23. Evaluation would be strictly on the basis of supporting documents and all statements of qualification, experience and achievements will be marked only if supporting documents are submitted alongwith the proposal.
- 24. A Committee would evaluate all the proposals received for coaching in a particular discipline at each sport complex. Evaluation would be made on the basis of qualifications, experience of coaches and assistant coaches, achievements as a player, achievements as a coach, technical equipment and training kits proposed to be utilized for coaching, proposed methodology of imparting training and monitoring progress of trainees, etc. Evaluation of the technical bids would be for a total of 80 marks. Financial bids of only those coaches/agencies would be opened who obtain minimum 50 out of 80 marks in the evaluation of their technical bids. The 20 marks for financial bids would be evaluated as per the following formula:-

Where 'L' is the lowest coaching fees submitted by coach/agency whose financial bid has been opened and 'Rate' is the coaching fees submitted by the coach/agency whose financial bid is being evaluated. Illustration of evaluation of financial bids is as follows:-

Coaching Rate submitted by applicant	Marks out of total 20 for financial bid
Rs. 1000 per month	20
(lowest financial bid)	
Rs. 1500 per month	13
Rs. 2000 per month	10
Rs. 2500 per month	8
Rs. 3000 per month	6

25. Coaching would be awarded to the coach/agency which secures the highest combined marks from the technical and financial bids. If agencies/coaches obtain the same total marks, then coaching would be awarded to the agency which has obtained the highest marks in technical bid.

OTHER TERMS AND CONDITIONS:

- 26. Coaching would be awarded on contract for a period of one year, which can be extended annually for a maximum total period of five years. However, coaching contract can be terminated before the total period of five years in case of unsatisfactory performance or non-compliance with the terms and conditions of the contract.
- 27. Proposed trainer-trainee ratio should be mentioned in the proposal. All proposals should contain detailed profiles of all coaches, assistant coaches and support staff alongwith passport size photographs, identity proof, phone numbers, cell phone numbers and residential address. Performance certificates of coaches/agencies from institutions where they are presently imparting coaching or had imparted coaching in the past should be submitted.
- 28. Extension of contracts would be considered annually subject to a maximum tenure of five years. The evaluation would be made on the basis of feedback from trainees, parents/guardians, availability of coaches during training, achievement of trainees, number of trainees, trainer-trainee ratio, revenue generated, training aids, equipment and technology utilized and adherence to the rules and regulations of the sports complex.
- 29. In addition to regular coaching, special coaching camps, especially during summer vacations for students can also be organized subject to prior approval.
- 30. The infrastructure allotted by DDA for the coaching will be utilized only for the purpose of coaching and no other activity would be permitted therein.

- 31. If storage space for training equipment is required, this should be clearly specified in the proposal. However, this would be provided at the discretion of DDA, if such storage space is available, on mutually agreed terms and conditions.
- 32. All applicants are advised to visit the facility at the sports complex for which they wish to submit proposal for coaching and evaluate the potential before submitting their proposals. No representations will be entertained subsequently in this regards.
- 33. The bid must be page numbered and total number of pages contained in the proposal should be indicated in the covering letter. DDA would not be responsible if any enclosure is not found attached.
- 34. If the coach or any of the assistant coaches or support staff are presently working in any government department, government undertaking, public sector undertaking, etc., No Objection Certificate (NOC) of the concerned organization to conduct paid coaching is required to be submitted. If NOC is not submitted and subsequently it comes to notice that the individual had conducted unauthorized paid coaching, coaching contract shall be terminated.
- 35. GST registration details should be submitted. However, if the annual income of the coach/agency is less than Rs. 20 lacs, then coach/agency is not liable for GST registration. However, as and when the turnover exceeds Rs. 20 lacs, GST registration will be immediately obtained. An undertaking in this regard is to be submitted by the coach/agency.
- 36. The Head coach should personally impart coaching. Annual extensions of coaching would not be made if this is not being done.
- 37. Technical bids should be submitted as per Annexures-I & II and Financial bids as per Annexure-III. Technical and financial bids should be submitted in two separate sealed envelopes superscribed "Technical Bid" and "Financial Bid" respectively clearly mentioning the name of the coach/agency. Both these sealed envelopes should be placed within a separate sealed envelope superscribed "Bids for coaching for squash at Yamuna sports complex".
- 38. Detailed proposals including all the above aspects should be submitted to Secretary (Coordn.), Sports Wing, Delhi Development Authority, Siri Fort Sports Complex, August Kranti Marg, New Delhi 110049latest by 10.05.2023. Incomplete proposals will not be entertained. However, clarifications, if necessary, can be sought by DDA.

Commissioner (Sports)

ANNEXURE-I

TECHNICAL BID DETAILS OF OFFER FOR COACHING

S. No.	Particulars	Details
1	Name	
2	Registered address	
3	Name of Proprietor/ Director/ Administrative Head/Coach	
4	Type of Ownership	Proprietary/Partnership/Company/LLP
5	Proof of Support of above	Attach documents in support and list the documents attached here
6	Sport	List only one sport here. If more than one sport is sought then separate proposals to be submitted
7	Level/ Nature of Coaching to be offered	List level and if more than one level is offered then the differentiation to be amplified
8	No. of days of coaching/week and timings of coaching proposed (as mentioned in the NIP)	
9	Previous Coaching Experience	Attach documents in support and list the documents attached here
10	Names of Coaches/ Assistant Coaches/ Support staff to impart coaching	Attach annexure if required and list the same here.
11	Qualification of Head Coach	
12	Qualifications of Assistant Coaches	
13	No. of courts/ infrastructure required	Clearly specify the infrastructure required in terms of courts/grounds, duration proposed to be used and timing proposed.
14	Preference of sports complex in order of preference	List in order of preference. Any number can be listed but the allotment will be as per guidelines listed in the terms and conditions.
15	Trainer/ Trainee Ratio proposed	
16	Training Aids/ Equipment to be provided	

Place:	Full name and signature of applicant
Date:	Full name and signature of authorized signatory with seal of establishment (in case of agency)
	Address:
	Email:

Cell phone/landline No.

TECHNICAL BID

CHECKLIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED

S.No.	Documents to be submitted	Submitted	Remarks
1	Copy of Registration of firms (in case of agency)		Attach document as applicable or state not available or applicable
2	Copy of Registration certificate of EPF (in case of agency)		Attach document as applicable or state not available or applicable
3	Copy of Registration Certificate of ESI (in case of agency)		Attach document as applicable or state not available or applicable
4	Copy of Labour License (in case of agency)		Attach document as applicable or state not available or applicable
5	Copy of Income Tax Return for last 2 years		Attach document as applicable or state not available or applicable
6	Copy of GST Registration		Attach document as applicable or state not available or applicable
7	Copy of PAN/TAN Card		Attach document as applicable or state not available or applicable
8	List of clients with dates		
9	Proof of experience		
10	Last 2 years audited statement from Chartered Accountant		Attach document as applicable or state not available or applicable

Date:	Full name and signature of authorized signatory with seal of establishment (in case of agency)
	Address:

Place:

Email: Cell phone/landline No.

Full name and signature of applicant

FINANCIAL BID

1.	Full name of Coach/Authorized signatory and name of agency	
2.	Address, Cell phone number, e-mail ID	
3.	Sports discipline in which coaching is proposed to be conducted	
4.	Names of sports complexes (in order of preference where coaching is proposed to be conducted)	
5.	Number of days per week and timings for proposed coaching (as per NIP)	
6.	Monthly coaching fees for members (25% additional coaching fees for nonmembers) for each of the above mentioned sports complex(s). (Proposed coaching fees should be mentioned both in figures and words) If there is discrepancy, rate quoted in words would be considered.	

EVALUATION CRITERIA FOR ASSESSMENT (80 MARKS) OF TECHNICAL BIDS: OTHER THAN DANCE

:

Name(s) of Coach/Assistant Coaches/Support Staff who would personally impart coaching

SI. No.	Criteria	Total marks	Weightage		Marks awarded	Remarks
1	Technical Qualifications of Coach (NIS qualified/ Federation approved	15	NIS degree/ certification	05		
	certification/International degree/certification in coaching)		International degree/certification	05		
	coaching		Additional degree/ certification in the sport/sports science	05		
2	Coaching experience in years	15	Upto 5 years	05		
			5 to 10 years	05		
			Above 10 years	05		
3	Achievements as a player	10	Top 3 ranking in national open championship recognized by official federation in the sport	04		
			Medallist in international open meet recognized by official federation in the sport	04		
			Dronacharya/Arjuna/ Major Dhyan Chand Khel Ratna award or similar National award in the sport/multiple champion in international meets	02		
4	Achievements as a Coach	15	Trainee – medallist at national championship recognised by official federation in the sport	05		
			Trainee – medallist in international championship recognized by official federation in the sport	05		
			Multiple trainees – Medallists at national/international championships recognized by official federation in the sport	05		

5	Technical qualifications, experience and achievements of Assistant Coaches and other	15	Technical qualifications of Assistant Coaches	05	
	support staff		Experience of Assistant Coaches	05	
			Technical qualifications and experience of other support staff/assistant coaches	05	
6	Technical equipment and training aids proposed to be utilized in coaching and	10	Technical equipment and training aids	05	
	proposed methodology of imparting training and monitoring progress of trainees		Methodology for training and monitoring progress	05	
7	Total marks	80			

Proposals for coaching Squash Coaching disciplines to be submitted for the Yamuna Sports Complex:

<u>S.</u>	Name of Sports					
<u>No.</u>	<u>Complexes</u>	Sports/Fitness Disciplines	Number of days for coaching in a week	Timings for each coaching		
1.	Yamuna Sports Complex	SQUASH	6 days	04:00pm to 06:00pm		

दिल्ली विकास प्राधिकरण स्पोर्ट्स विंगः कॉर्डन। कक्ष सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अगस्त क्रांति मार्ग <u>नई दिल्ली-110 049</u>

NIP No 01/YSC/DDA/2023-24

यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्क्वैश कोचिंग आयोजित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रण सूचना (एनआईपी)।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्पोर्ट्स विंग) राजस्व साझेदारी के आधार पर यमुना स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में स्क्वैश कोचिंग आयोजित करने के लिए पेशेवर खेल प्रशिक्षकों/एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

विस्तृत पात्रता मानदंड, नियम और शर्तें, चयन का तरीका आदि के लिए, कृपया डीडीए की वेबसाइट www.dda.gov.in ("सार्वजनिक सूचना" और "निविदा" वेब पेजों में) देखें। डीडीए खेल परिसरों में से किसी से भी विवरण प्राप्त किया जा सकता है।

विस्तृत प्रस्ताव (यांनी तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) सचिव (समन्वय), स्पोर्ट्स विंग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110049 को 10.05.2023 तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए। खारिज कर दिया जाएगा।

आयुक्त (खेल)

दिल्ली विकास प्राधिकरण स्पोर्ट्स विंगः कॉर्डन। कक्ष सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अगस्त क्रांति मार्ग <u>नई दिल्ली-110 049</u>

विषयः यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्क्वैश कोचिंग आयोजित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रण सूचना (एनआईपी)।

<u>पृष्ठभूमि</u>:

- 1. दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्पोर्ट्स विंग) स्क्वैश में कोचिंग आयोजित करने के लिए पेशेवर खेल प्रशिक्षकों/एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित करता है, जिसके लिए दिल्ली में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राजस्व साझेदारी के आधार पर स्विधाएं उपलब्ध हैं।
- 2. सदस्यों के साथ-साथ गैर-सदस्यों के लिए खेल परिसर में उपलब्ध सुविधाओं पर कोचिंग प्रदान की जाती है। डीडीए बुनियादी ढांचा प्रदान करता है और साथ ही सुविधाओं का रखरखाव करता है जबिक पेशेवर कोच/कोचिंग एजेंसियां कोचिंग प्रदान करती हैं।

नियम और शर्ते:

- 3. कोचिंग रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर दी जाती है। सभी आउटडोर कोचिंग के लिए कोचिंग शुल्क का हिस्सा क्रमशः कोच/एजेंसी और डीडीए के बीच 60:40 होगा। हालांकि, जिन सुविधाओं के लिए डीडीए अधिकांश प्रशिक्षण सहायता प्रदान करता है, और इनडोर सुविधाएं, साझा करने का अनुपात 50:50 होगा।
- 4. प्रशिक्षकों/कोचिंग एजेंसियों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कम से कम 10% प्रशिक्षुओं को अनिवार्य नि:शुल्क कोचिंग प्रदान की जानी है, जिनके पास खेल में क्षमता है। कोचिंग अनुबंधों का विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा जहां कोचों/एजेंसियों ने प्रशिक्षुओं की न्यूनतम संख्या को मुफ्त कोचिंग प्रदान नहीं की है। यदि प्रबंधन कुल प्रशिक्षुओं की संख्या के 10% से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कोचिंग देना उचित समझता है, तो प्रबंधन अनिवार्य आवश्यकता से अधिक ईडब्ल्यूएस प्रशिक्षुओं की अतिरिक्त संख्या के लिए कोचों/एजेंसियों को उनके हिस्से की कोचिंग फीस का भुगतान करेगा। 10%।
- 5. सप्ताह के दिन और कोचिंग देने का समय प्रबंधन द्वारा आवश्यकता और सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार तय किया जाएगा।
- 6. पेशेवर प्रशिक्षकों/कोचिंग एजेंसियों को वरीयता के क्रम में खेल परिसर की वरीयता का संकेत देते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्तावों में उन कोचों/सहायक कोचों का विवरण शामिल होना चाहिए जो कोच और/या राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के रूप में अपनी योग्यता,

अनुभव और उपलब्धि के साथ कोचिंग प्रदान करने में व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे। कोचिंग में मान्यता और प्रशिक्षुओं की उपलब्धि के लिए प्रस्कारों का विवरण भी प्रस्तृत किया जाना चाहिए।

- 7. कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए जिसमें उसने आवेदन किया है। संलग्न किए जाने वाले कोचिंग अनुभव क्लबों, सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों/अन्य शैक्षणिक संस्थानों, खेल संघों, सरकारी निकायों आदि से होने चाहिए। यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो वह मुख्य कोच होना चाहिए।
- 8. यदि एक से अधिक एजेंसी द्वारा एक ही हेड कोच और सहायक कोच सहित अन्य कोचों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, तो इन एजेंसियों की बोलियों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, कोच, सहायक कोच और सहायक कर्मचारियों को यह वचन देना होगा कि उन्होंने केवल एक विशेष एजेंसी के लिए कोचिंग कार्यक्रम का हिस्सा बनने की इच्छा जताई है, न कि किसी अन्य एजेंसी के लिए।
- 9. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वप्रमाणित होंगे। आवेदनों के साथ संलग्न कोचों का बायोडाटा और प्रमाण पत्र कोच और सहायक कोच दवारा स्व-सत्यापित होंगे।
- 10. किसी भी विषय में किसी कोच/कोचिंग एजेंसी को अधिकतम दो खेल परिसर प्रदान किए जाएंगे।
- 11. पीक ऑवर्स के दौरान खेल परिसरों में खेल सुविधाएं, यानी सुबह 6.00 बजे से 8.00 बजे और शाम 6.00 बजे से 8.00 बजे तक आमतौर पर कोचिंग के लिए उपलब्ध नहीं होंगी और इन समयों के दौरान सुविधाओं का उपयोग विशेष रूप से सदस्यों के लिए होगा। हालाँकि, यदि कोई अतिरिक्त क्षमता है, जैसा कि कॉम्प्लेक्स के सचिव द्वारा मूल्यांकन किया गया है, तो शर्तों के अधीन इन घंटों के दौरान भी कोचिंग की अनुमति दी जा सकती है।
- 12. प्रत्येक खेल परिसर में, प्रत्येक अनुशासन में आमतौर पर कोचिंग के एक विशेष स्तर के लिए केवल एक कोचिंग अनुबंध प्रदान किया जाएगा। हालांकि, कोचिंग के विभिन्न स्तरों के लिए, यानी, बुनियादी, इंटरमीडिएट और एक ही अनुशासन में अग्रिम, एक विशेष परिसर में अलग-अलग कोच/एजेंसियां हो सकती हैं। हालांकि, आवश्यकता और सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर, किसी खेल परिसर में किसी भी स्तर की कोचिंग में एक से अधिक कोचिंग अनुबंध भी प्रदान किए जा सकते हैं।
- 13. सभी खेल परिसरों में सदस्यों और गैर-सदस्यों के लिए कोचिंग दरों में अंतर गैर-सदस्यों के लिए 25% अतिरिक्त शुल्क पर एक समान होगा।
- 14. सदस्यों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रस्तावित मासिक शुल्क को प्रस्ताव की वित्तीय बोली में अंकों और शब्दों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। गैर-सदस्यों के लिए शुल्क सदस्यों द्वारा देय शुल्क से 25% अधिक होगा। कोचिंग फीस पर लागू जीएसटी लगाया जाएगा। सदस्यों से लिया

जाने वाला प्रस्तावित मासिक शुल्क अनुबंध-॥ के प्रोफार्मा के अनुसार एक अलग सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालांकि, मासिक कोचिंग शुल्क के अलावा, कोचों/एजेंसियों को वापसी योग्य/अप्रतिदेय प्रवेश शुल्क लेने की अनुमित नहीं होगी। कोचिंग शुल्क संबंधित खेल परिसर द्वारा एकत्र किया जाएगा और कोच/एजेंसी का हिस्सा एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा परिसर द्वारा या अगले महीने के 7 वें दिन से पहले प्रेषित किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों से एक बार में केवल एक माह का अग्रिम कोचिंग शुल्क लिया जाएगा।

- 15. किसी विशेष विषय में कोचिंग के समान स्तर की दरों की तुलना परिसर के स्थान और सदस्यता प्रोफ़ाइल के अनुसार परिसरों के बीच की जानी चाहिए।
- 16. प्रशिक्षकों/एजेंसियों को अपने प्रस्ताव में अतिरिक्त इनपुट, प्रशिक्षण सहायक सामग्री और खेलने के उपकरण की लागत का विवरण स्पष्ट रूप से बताना होगा, जिसे वे अनुरोध पर प्रशिक्षुओं को प्रदान करना चाहते हैं। इन आदानों, उपकरणों आदि के लिए विनिर्देशों और दरों को परिसर के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता होगी और खेल परिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा साथ ही साथ कोचिंग अनुबंध में भी इसका उल्लेख किया जाएगा। इसमें उल्लिखित मदों के अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान के आधार पर अन्य कोई वस्तु उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है। अनुमोदित वस्तुओं की दरों में किसी भी परिवर्तन के लिए कोचों/एजेंसियों द्वारा प्रबंधन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। इन स्वीकृत मदों के लिए भुगतान सीधे कोचों/एजेंसियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और इनसे राजस्व का कोई हिस्सा डीडीए को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इससे किसी भी विचलन को अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और कोचिंग अन्बंधों के विस्तार के लिए समीक्षा के समय विचार किया जाएगा।
- 17. मुख्य कोच, कोच और सहायक कोच जिनका नाम एजेंसी/आवेदक ने एनआईपी के लिए बोली लगाते समय प्रस्ताव में शामिल किया है, उन्हें एक पत्र जमा करना चाहिए कि वे उपलब्ध हैं और एजेंसी के लिए कोच के रूप में काम करने के इच्छुक हैं, यदि एजेंसी कोचिंग का ठेका दिया है। कोच/एजेंसियां अपने कोचिंग प्रस्ताव में प्रस्तुत हेड कोच को बदल नहीं सकती हैं। सहायक प्रशिक्षकों और सहायक कर्मचारियों में परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है, जिसके लिए परिसर के सचिव से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। कर्मचारियों को उन कर्मचारियों के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जिनके पास प्रारंभिक प्रस्ताव में उल्लिखित समान योग्यता और अनुभव है जिसका मूल्यांकन किया गया था। अनुपालन न करने पर कोचिंग अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।
- 18. प्रशिक्षण के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुई किसी भी चोट, जीवन की हानि आदि के लिए कोच/एजेंसियां डीडीए को क्षतिपूर्ति करेंगी।
- 19. डीडीए द्वारा अनुमोदित किसी भी कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं की भागीदारी के लिए पूरी तरह से कोच/एजेंसियां जिम्मेदार होंगी।

- 20. कोचों/अकादिमयों को अपनी अकादिमयों का नामकरण/ब्रांडिंग करते समय डीडीए का नाम शामिल करने की अनुमित होगी।
- 21. कोचिंग के लिए क्लबों से कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 22. सभी प्रशिक्षुओं को कोचिंग के नियमों और शर्तों के विवरण के साथ एक फॉर्म भरना होगा और प्रशिक्षण के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली किसी भी चोट, जीवन की हानि आदि के लिए डीडीए को क्षतिपूर्ति भी करनी होगी।

प्रस्तावों का मूल्यांकनः

- 23. मूल्यांकन सख्ती से सहायक दस्तावेजों के आधार पर होगा और योग्यता, अनुभव और उपलब्धियों के सभी विवरणों को तभी चिहिनत किया जाएगा जब प्रस्ताव के साथ सहायक दस्तावेज जमा किए गए हों।
- 24. एक समिति प्रत्येक खेल परिसर में एक विशेष अनुशासन में कोचिंग के लिए प्राप्त सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी। योग्यता, प्रशिक्षकों और सहायक प्रशिक्षकों के अनुभव, एक खिलाड़ी के रूप में उपलब्धियां, एक कोच के रूप में उपलब्धियां, कोचिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले तकनीकी उपकरण और प्रशिक्षण किट, प्रशिक्षण देने की प्रस्तावित पद्धित और प्रशिक्षुओं की प्रगति की निगरानी के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। आदि। तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन कुल 80 अंकों का होगा। केवल उन्हीं कोचों/एजेंसियों की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जो अपनी तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन में 80 में से न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करेंगे। वित्तीय बोलियों के 20 अंकों का मूल्यांकन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा:-

<u>एल x 20</u> दर

जहां 'एल' कोच/एजेंसी द्वारा जमा की गई सबसे कम कोचिंग फीस है, जिसकी वित्तीय बोली खोली गई है और 'रेट' कोच/एजेंसी द्वारा जमा की गई कोचिंग फीस है, जिसकी वित्तीय बोली का मूल्यांकन किया जा रहा है। वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन का उदाहरण इस प्रकार है:-

आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोचिंग दर	वित्तीय बोली के लिए कुल 20 में से अंक
जा। पण ५१	20 म स जफ
रु. 1000 प्रति माह	20
(न्यूनतम वित्तीय बोली)	
रु. 1500 प्रति माह	13
रु. 2000 प्रति माह	10
रु. 2500 प्रति माह	8

रु. 3000 प्रति माह	6

25. कोचिंग उस कोच/एजेंसी को प्रदान की जाएगी जो तकनीकी और वित्तीय बोलियों से उच्चतम संयुक्त अंक प्राप्त करता है। यदि एजेंसियां/कोच समान कुल अंक प्राप्त करते हैं, तो कोचिंग उस एजेंसी को प्रदान की जाएगी जिसने तकनीकी बोली में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं।

अन्य नियम और शर्ते:

- 26. कोचिंग एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध पर प्रदान की जाएगी, जिसे सालाना अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, असंतोषजनक प्रदर्शन या अनुबंध के नियमों और शर्तों का पालन न करने की स्थिति में कोचिंग अनुबंध को पांच साल की कुल अवधि से पहले समाप्त किया जा सकता है।
- 27. प्रस्ताव में प्रस्तावित प्रशिक्षक-प्रशिक्षु अनुपात का उल्लेख किया जाना चाहिए। सभी प्रस्तावों में पासपोर्ट आकार के फोटो, पहचान प्रमाण, फोन नंबर, सेल फोन नंबर और आवासीय पते के साथ सभी कोचों, सहायक कोचों और सहायक कर्मचारियों के विस्तृत प्रोफाइल शामिल होने चाहिए। जिन संस्थानों में वे वर्तमान में कोचिंग दे रहे हैं या पूर्व में कोचिंग दे चुके हैं, उनके कोच/एजेंसियों के प्रदर्शन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- 28. अनुबंधों के विस्तार पर सालाना विचार किया जाएगा, जो अधिकतम पांच साल की अवधि के अधीन होगा। मूल्यांकन प्रशिक्षुओं, माता-पिता/अभिभावकों से फीडबैक, प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों की उपलब्धता, प्रशिक्षुओं की उपलब्ध, प्रशिक्षुओं की संख्या, प्रशिक्षक-प्रशिक्षु अनुपात, उत्पन्न राजस्व, प्रशिक्षण सहायता, उपकरण और प्रौद्योगिकी का उपयोग और अनुपालन के आधार पर किया जाएगा। खेल परिसर के नियम और विनियम।
- 29. नियमित कोचिंग के अलावा, विशेष कोचिंग शिविर, विशेष रूप से छात्रों के लिए गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी पूर्व अनुमोदन के अधीन आयोजित किए जा सकते हैं।
- 30. कोचिंग के लिए डीडीए द्वारा आवंटित बुनियादी ढांचे का उपयोग केवल कोचिंग के उद्देश्य से किया जाएगा और इसमें किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 31. यदि प्रशिक्षण उपकरण के लिए भंडारण स्थान की आवश्यकता है, तो इसे प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। हालांकि, यह डीडीए के विवेक पर प्रदान किया जाएगा, यदि ऐसा भंडारण स्थान उपलब्ध है, तो पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर।
- 32. सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे खेल परिसर में सुविधा का दौरा करें जिसके लिए वे कोचिंग के लिए प्रस्ताव जमा करना चाहते हैं और अपने प्रस्ताव जमा करने से पहले क्षमता का मूल्यांकन करें। इस संबंध में बाद में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 33. बोली पृष्ठ संख्यांकित होनी चाहिए और प्रस्ताव में निहित पृष्ठों की कुल संख्या कविरंग लेटर में इंगित की जानी चाहिए। यदि कोई संलग्नक नहीं पाया जाता है तो डीडीए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 34. यदि कोच या कोई सहायक कोच या सहायक कर्मचारी वर्तमान में किसी सरकारी विभाग, सरकारी उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि में काम कर रहा है, तो भुगतान कोचिंग आयोजित करने के लिए संबंधित संगठन का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जमा करना आवश्यक है। यदि एनओसी जमा नहीं किया जाता है और बाद में यह पता चलता है कि व्यक्ति ने अनिधिकृत भुगतान कोचिंग का संचालन किया था, तो कोचिंग अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।
- 35. जीएसटी पंजीकरण विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालांकि, अगर कोच/एजेंसी की वार्षिक आय रुपये से कम है। 20 लाख, तो कोच/एजेंसी जीएसटी पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालाँकि, जब और जब टर्नओवर रुपये से अधिक हो जाता है। 20 लाख, जीएसटी पंजीकरण तुरंत प्राप्त किया जाएगा। इस संबंध में एक अंडरटेकिंग कोच/एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।
- 36. मुख्य कोच को व्यक्तिगत रूप से कोचिंग प्रदान करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जा रहा है तो कोचिंग का वार्षिक विस्तार नहीं किया जाएगा।
- 37. तकनीकी बोलियां अनुबंध-। और ॥ के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए और वित्तीय बोलियां अनुबंध- ॥। के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए। तकनीकी और वित्तीय बोलियां दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में क्रमशः "तकनीकी बोली" और "वित्तीय बोली" लिखकर प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसमें कोच/एजेंसी का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। इन दोनों मुहरबंद लिफाफों को एक अलग सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए, जिस पर "यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्क्वैश के लिए कोचिंग के लिए बोली" लिखा होना चाहिए।
- 38. उपरोक्त सभी पहलुओं सहित विस्तृत प्रस्ताव सचिव (समन्वय), स्पोर्ट्स विंग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली 110049 को नवीनतम 10.05.2023 तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अधूरे प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि आवश्यक हो तो डीडीए द्वारा स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

तकनीकी बोली कोचिंग के लिए प्रस्ताव का विवरण

क्र.सं.	विवरण	विवरण
1	नाम	
2	पंजीकृत पता	
3	प्रोपराइटर/निदेशक/प्रशासनिक प्रमुख/कोच का नाम	
4	स्वामित्व के प्रकार	मालिकाना/साझेदारी/कंपनी/एलएलपी
5	ऊपर के समर्थन का प्रमाण	समर्थन में दस्तावेज़ संलग्न करें और यहाँ संलग्न दस्तावेज़ों को सूचीबद्ध करें
6	खेल	यहां केवल एक खेल की सूची बनाएं। यदि एक से अधिक खेलों की मांग की जाती है तो अलग-अलग प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं
7	पेशकश की जाने वाली कोचिंग का स्तर/स्वरूप	सूची स्तर और यदि एक से अधिक स्तर की पेशकश की जाती है तो अंतर को बढ़ाया जाना चाहिए
8	कोचिंग के दिनों की संख्या/सप्ताह और प्रस्तावित कोचिंग के समय (जैसा कि एनआईपी में उल्लेख किया गया है)	
9	पिछला कोचिंग अनुभव	समर्थन में दस्तावेज़ संलग्न करें और यहाँ संलग्न दस्तावेज़ों को सूचीबद्ध करें
10	कोचिंग देने के लिए कोच/सहायक कोच/सहायक स्टाफ के नाम	यदि आवश्यक हो तो अनुबंध संलग्न करें और उसे यहां सूचीबद्ध करें।
11	मुख्य कोच की योग्यता	
12	सहायक प्रशिक्षकों की योग्यता	
13	आवश्यक न्यायालयों/अवसंरचनाओं की संख्या	अदालतों/मैदानों, उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित अविध और प्रस्तावित समय के संदर्भ में आवश्यक बुनियादी ढांचे को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें।
14	खेल परिसर को वरीयता क्रम में वरीयता	वरीयता क्रम में सूची। कोई भी नंबर सूचीबद्ध किया जा सकता है लेकिन आवंटन नियम और शर्तों में सूचीबद्ध दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
15	प्रशिक्षक/प्रशिक्षु अनुपात प्रस्तावित	
16	प्रशिक्षण सहायता/उपकरण प्रदान किए जाने हैं	

स्थानः आवेदक का पूरा नाम और हस्ताक्षर

दिनांक: अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम और हस्ताक्षर स्थापना की मुहर के साथ (एजेंसी के मामले में) पता:

ईमेल:

सेल फोन/लैंडलाइन नं.

अनुबंध द्वितीय

तकनीकी बोली जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच सूची

क्र.सं.	दस्तावेज जमा करने होंगे	प्रस्तुत	टिप्पणियां
1	फर्मों के पंजीकरण की प्रति (एजेंसी के मामले में)		दस्तावेज़ संलग्न करें जैसा कि लागू है या राज्य उपलब्ध नहीं है या लागू है
2	ईपीएफ के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति (एजेंसी के मामले में)		दस्तावेज़ संलग्न करें जैसा कि लागू है या राज्य उपलब्ध नहीं है या लागू है
3	ईएसआई के पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति (एजेंसी के मामले में)		दस्तावेज़ संलग्न करें जैसा कि लागू है या राज्य उपलब्ध नहीं है या लागू है
4	लेबर लाइसेंस की कॉपी (एजेंसी के मामले में)		दस्तावेज़ संलग्न करें जैसा कि लागू है या राज्य उपलब्ध नहीं है या लागू है
5	पिछले 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी		दस्तावेज़ संलग्न करें जैसा कि लागू है या राज्य उपलब्ध नहीं है या लागू है
6	जीएसटी पंजीकरण की प्रति		दस्तावेज़ संलग्न करें जैसा कि लागू है या राज्य उपलब्ध नहीं है या लागू है
7	पैन/टैन कार्ड की प्रति		दस्तावेज़ संलग्न करें जैसा कि लागू है या राज्य उपलब्ध नहीं है या लागू है

8	तारीखों के साथ ग्राहकों की सूची	
9	अनुभव का प्रमाण	
10	चार्टर्ड अकाउंटेंट का पिछले 2 साल का ऑडिटेंड स्टेटमेंट	दस्तावेज़ संलग्न करें जैसा कि लागू है या राज्य उपलब्ध नहीं है या लागू है

स्थान:	आवेदक का पूरा न	ाम और हस्ताक्षर

दिनांक: अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम और हस्ताक्षर स्थापना की मुहर के साथ (एजेंसी के मामले में)

> पताः ईमेलः

सेल फोन/लैंडलाइन नं.

वित्तीय बोली

1.	कोच/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम	
	और एजेंसी का नाम	
2.	पता, सेल फोन नंबर, ई-मेल आईडी	
3.	खेल विधा जिसमें कोचिंग संचालित करने का प्रस्ताव है	
4.	खेल परिसरों के नाम (वरीयता के क्रम में जहां कोचिंग संचालित करने का प्रस्ताव है)	
5.	प्रति सप्ताह दिनों की संख्या और प्रस्तावित कोचिंग के लिए समय (एनआईपी के अनुसार)	
6.	उपरोक्त प्रत्येक खेल परिसर के लिए सदस्यों के लिए मासिक कोचिंग शुल्क (गैर-सदस्यों के लिए 25% अतिरिक्त कोचिंग शुल्क)। (प्रस्तावित कोचिंग शुल्क का उल्लेख अंकों और शब्दों दोनों में किया जाना चाहिए) यदि कोई विसंगति है, तो शब्दों में उद्धृत दर पर विचार किया जाएगा।	

तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन मानदंड (80 अंक) : नृत्य के अलावा

कोच/सहायक कोच/सपोर्ट स्टाफ का नाम/ नाम जो व्यक्तिगत रूप से कोचिंग प्रदान करेगा

क्र.सं. नहीं।	मानदंड	कुल मार्क	महत्व		मार्क्स दिए गए	टिप्पणियां
1	कोच की तकनीकी योग्यता (एनआईएस	15	एनआईएस डिग्री / प्रमाणन	05		
	क्वालिफाइड/फेडरेशन		अंतर्राष्ट्रीय डिग्री / प्रमाणन	05		
	अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन/इंटरनेशनल डिग्री/सर्टिफिकेशन इन कोचिंग)		खेल/खेल विज्ञान में अतिरिक्त डिग्री/प्रमाणन	05		
2	वर्षों में कोचिंग का अनुभव	15	5 साल तक	05		
			5 से 10 साल	05		
			10 साल से ऊपर	05		
3	एक खिलाड़ी के रूप में उपलब्धियां	10	खेल में आधिकारिक महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप में शीर्ष 3 रैंकिंग	04		
			खेल में आधिकारिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय ओपन मीट में पदक विजेता	04		
			द्रोणाचार्य / अर्जुन / मेजर ध्यानचंद खेल खेल में रत्न पुरस्कार या इसी तरह का राष्ट्रीय पुरस्कार/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई चैंपियन	02		
4	एक कोच के रूप में उपलब्धियां	15	प्रशिक्षु - खेल में आधिकारिक महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक विजेता	05		

			प्रशिक्षु - खेल में आधिकारिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक विजेता एकाधिक प्रशिक्षु - खेल में आधिकारिक महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक विजेता	05	
5	तकनीकी योग्यता, अनुभव और सहायक प्रशिक्षकों और अन्य सहायक कर्मचारियों की उपलब्धियां	15	सहायक प्रशिक्षकों की तकनीकी योग्यता सहायक प्रशिक्षकों का अनुभव अन्य सहायक स्टाफ/सहायक प्रशिक्षकों की तकनीकी योग्यताएं और	05 05 05	
6	कोचिंग में उपयोग के लिए प्रस्तावित तकनीकी उपकरण और प्रशिक्षण सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रस्तावित पद्धति और प्रशिक्षुओं की प्रगति की निगरानी	10	अनुभव तकनीकी उपकरण और प्रशिक्षण सहायता प्रशिक्षण और निगरानी प्रगति के लिए पद्धति	05	
7	कुल मार्क	80			

यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले कोचिंग स्क्वैश कोचिंग के प्रस्ताव:

<u>एस।</u>	खेल परिसरों का नाम	खेल/स्वास्थ्य विषय एक सप्ताह में कोचिंग के लिए दिनों की संख्या और समय के साथ					
<u>नहीं।</u>		खेल/स्वास्थ्य अनुशासन एक सप्ताह में कोचिंग प्रत्येक कोचिंग के लिए					
			के लिए दिनों की				
			<u>संख्या</u>				
1	711 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	T. # 2191	६ दिन	शाम 04:00 से शाम 06:00			
1.	यमुना खेल परिसर	स्क्वाश	७ ।दन	बजे तक			